

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

7/10/2014

आवेदिका श्रीमती संजु कुमारी, पति-श्री मनोज कुमार, सा०-करबिगहिया, अपोजिट बैंक ऑफ इण्डिया, मेन रोड, पो०-जी०पी०ओ०, थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-49/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-181/गो०, दिनांक-27.02.2012 द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, जक्कनपुर के जाँच प्रतिवेदन में आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु यथेष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आलोक में आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष, जक्कनपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे व्यवसाय करती हैं। तदोपरान्त आवेदिका के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदिका को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कोई विशेष तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदिका के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदिका को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन०पी०बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदिका श्रीमती संजु कुमारी, पति-श्री मनोज कुमार, सा०-करबिगहिया, अपोजिट बैंक ऑफ इण्डिया, मेन रोड, पो०-जी०पी०ओ०, थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।